संख्या– 319 /26–ब0प्र0–2012–10(72)/2005

प्रेषक,

राघवेन्द्र विक्रम सिंह,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ :दिनांक 16 अगस्त, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान सं0–83 के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावासों का संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012, जो समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावासों का संचालन के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 140.68 लाख के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मानक मदों हेतु पूर्ण धनराशि रू0 1,40,68,000/–(रूपये एक करोड़ चालीस लाख अड़सठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रूपयों में)

अनुदान संख्या/योजना/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान सं0–83–आयोजनागत–	
2225–अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01– अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
10– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावासों का संचालन–	
01–वेतन–	4028
03–महगाई भत्ता–	2779
04–यात्रा व्यय–	32
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय–	11
06–अन्य भत्ते–	483
07–मानदेय	28
08–कार्यालय व्यय–	208
09–विद्युत देय	4187
10–जलकर/जलप्रभार	57
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	38

16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1583
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	383
29–अनुरक्षण	153
42–अन्य व्यय–	95
51– वर्दी व्यय	3
योग–10	14068

(रूपये एक करोड़ चालीस लाख अड़सठ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2012–13 में पूरे वर्ष के लिए है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण चार त्रैमासिक किस्तों में किया जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(2) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र/छात्रावासों के संचालन हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से आपके प्रस्तावानुसार विद्यालय के उपयोगार्थ सामग्री सम्पूर्ति आदि का क्रय समय–समय पर निर्गत शासनादेशों तथा स्टोर परचेज रूल्स के तहत किया जायेगा। कम्प्यूटर आदि का क्रय आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप् सं0–बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों तथा शासन द्वारा निर्धारित मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग उपर्युक्तानुसार मानक मदों में ही किया जायेगा। किसी भी मद में व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि व्यय हेतु अवशेष बच जाये उसे शासन को समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राघवेन्द्र विक्रम सिंह)
विशेष सचिव

सं0– 319 (1)/26–ब0प्र0–2012 तद्दिनांक

उपुर्यक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,. उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी,जवाहरभवन,लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
5. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0 एच0 रिजवी)
उप सचिव